

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:-523/2012/223 आर.टी.एक्ट (2012/00039)

1. श्री रामलाल पुत्र जगन्नाथ जाति बलाई निवासीगण विसुन्दनी तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. घीसा लाल पुत्र भूरा जाति बलाई निवासी विसुन्दनी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. श्री गजानन्द पुत्र जगन्नाथ जाति बलाई निवासी विसुन्दनी तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. श्रीमती गुलाब पुत्री जगन्नाथ पत्नी धन्ना लाल बलाई निवासी हिगोनिया तहसील सरवाड जिला अजमेर।
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2002 प्रकरण संख्या 161/1991 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर।



उपस्थित:-

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अजीतसिंह अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01
3. श्री भीयाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 02
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 04
5. रेस्पोंडेंट संख्या 03 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक:-23.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 161/1991 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2002 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2002 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2002 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

राजस्थान अपील प्राधिकारी  
अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोंडेंट संख्या 03 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि विपक्षी घीसा ने प्रार्थी को मुगालता देकर राजीनामा पेश किया, जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी व उस गलत राजीनामों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षी का वाद डिक्री कर दिया, जिसकी प्रार्थी के अभिभाषक ने कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं दी व प्रार्थी जो की एक अनपढ़ साधु व्यक्ति हैं वह सारी कार्यवाही हेतु अपने अभिभाषक पर निर्भर था व प्रार्थी के अभिभाषक ने भी डिक्री के बाबत कोई सूचना प्रार्थी को नहीं दी व न ही विपक्षी ने कोई आराजी मुतनाजा पर कब्जा ही किया हाल ही में विपक्षी अधीनस्थ न्यायालयों के डिक्री के तहत आराजी मुतनाजा पर कब्जा करने आया तो प्रार्थी ने उपखंड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में जाकर मालूमात की तो प्रार्थी को मालूम हुआ कि विपक्षी ने डिक्री दिनांक 23.03.2001 को पारित करवा ली है व इसी आधार पर दूसरी फाईनल डिक्री भी दिनांक 25.7.2002 को पारित करवा ली। अतः प्रार्थी को उपरोक्त डिक्री की जानकारी दिनांक 28.3.2012 को होने पर उसी रोज एक प्रार्थना पत्र वास्ते नकल हेतु प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी को दिनांक 2.7.2012 को नकल दी गई। तत्पश्चात कानूनी सलाह लेकर वह फीस आदि का प्रबंध कर न्यायालय के समक्ष जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए हैं इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं।

**R.B.J (5) 1998 PAGE 257- LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5- When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.**

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते हैं। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराशय नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण

अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकारी  
अ.क.स.

पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि संलग्न प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील में वर्णित आधारों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की फाईनल डिक्री भी कतई गैर कानूनी होने से काबिल निरस्तनीय है विपक्षी वादी का आराजी मुतनाजा में कोई हक नहीं है उसने गलत तौर पर बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के आराजी मुतनाजा में अपना आधा हक लिखवा दिया है, जबकि उसका कोई हक आराजी मुतनाजा में आज दिनांक तक नहीं रहा है, अतः बंटवारे की फाईनल डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2002 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश एवं डिक्री दिनांक 23.3.2001 के अनुसार ग्राम बिसुन्दनी तहसील केकडी की वादग्रस्त आराजी भूमि का बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार केकडी से प्राप्त हुए है। बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार बंटवारा करने में उभयपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम बिसुन्दनी तहसील केकडी की वादग्रस्त भूमि का बंटवारा स्वीकार किया गया व वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में खसरा नम्बर 1868 क्षेत्रफल 0.04 गै0मु0 चाह दर्ज रहेगा। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए जो पूर्ण रूप से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किए जाने के पश्चात पारित किए गए है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोंडेंट द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को दिनांक 25.07.2002 को डिक्री किए जाने के आदेश प्रदान किए गए। अतः उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 6 तनकीयां कायम की जाकर उक्त प्रकरण को दिनांक 25.07.2002 को डिक्री किया गया व हमारे द्वारा उक्त तनकियों का विवेचन व अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है।  
तनकी संख्या 1 - सर्वप्रथम इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उक्त आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है चूंकि इस बाबत अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजीनामा पेश किया था जिसके फलस्वरूप यह तथ्य सामने आते है कि उक्त आराजीयात पुश्तैनी है। जिसके अनुसार भुवाना व जगन्नाथ भाई थे। जो कि नौला के पुत्र थे। पत्रावली पर सन् फसली 1359 है उसके कॉलम में विवादित आराजीयात का

राज्य अपील प्राधिकारी  
अजमेर

पुश्तैनी होना अंकित है। यदि उक्त आराजीयात सिर्फ जगन्नाथ की होती तो सन् फसली 1359 पर पुश्तैनी की बजाय खुदकाशत अंकित होता। अतः इससे यह बात स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पुश्तैनी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम तनकी का निर्णय विधि सम्मत किया गया है।

तनकी संख्या 2 - चूंकि तनकी संख्या 1 के अनुसार जब यह प्रमाणित हो चुका है कि विवादित आराजीयात जो कि पुश्तैनी है। विवादित आराजीयात बाबत कब्जे काशत को लेकर उभयपक्षों में आपसी विवाद होना स्वयं सिद्ध है, अतः वर्णित आराजीयात संयुक्त स्वामित्व की भूमि है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 का विवेचन भी न्याय संगत किया गया है।

तनकी संख्या 3 - अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अभिभाषक ने खसरा नम्बर 1009 रकबा 1-8-0 बीघा भूमि संयुक्त कब्जे काशत की भूमि होना प्रदर्श-डी 11 से होना बताया तथा वादी केवल प्रदर्श-डी 11 में वर्णित भूमि का ही बंटवारा कराने का हक रखता है। चूंकि यदि ऐसा होता तो अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 3 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामे में यह कथन नहीं कहते कि विवादित संपूर्ण आराजीयात पुश्तैनी है। उनके द्वारा किया गया राजीनामा जो कि अधीनस्थ न्यायालय में पढकर सुनाया गया है तथा जिसकी पुष्टि उनके स्वयं के अभिभाषक ने कि है, जो कि उक्त राजीनामे के पृष्ठ पर भी अंकित किया गया है। जिसकी सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 का निर्णय भी विधिसम्मत किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

तनकी संख्या 4 - तनकी संख्या 4 वादी द्वारा अपनी मां व बहनों को पक्षकार बनाने के संबंध में है। चूंकि उनको पक्षकार बनाए जाने से अपीलांट के हक व हिस्से पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पडता है। उपरोक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट है कि मृतक भूरा के वारिस कायम करने या नहीं करने से वर्तमान अपीलांट के हक अधिकारों पर प्रभाव नहीं पडता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी का निर्णय भी न्याय संगत किया गया है। जिससे न्यायालय हाजा सहमत है।

तनकी संख्या 5 - विवादित आराजीयात जो कि संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी आराजीयात है उसी का बंटवारा किया जा सकता है। प्रदर्श डी-6 व प्रदर्श डी-8 में वर्णित भूमियां उभयपक्षों के पूर्वजों की बनाई हुई नहीं है, अतः इन भूमियों को किसी भी आधार पर पुश्तैनी नहीं माना जा सकता है क्यों कि उक्त भूमि वर्तमान रेस्पोंडेंट की खातेदारी की भूमि है व अपीलांट द्वारा उक्त भूमि को ना तो अधीनस्थ न्यायालय में ना ही हाजा न्यायालय में पुश्तैनी भूमि होना सिद्ध किया गया है। अतः उक्त तनकी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से निर्णित की गई है।

तनकी संख्या 6 - चूंकि तनकी संख्या 6 दादरसी से संबंधित है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तनकियों का निर्णय विधिसम्मत किया गया है। जिससे न्यायालय हाजा सहमत है, अतः उक्त तनकियों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उपरोक्त तनकियों का विस्तृत विवेचन करते हुए पारित किया गया है जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होने से उक्त अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या



161/1991 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2002 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)

राजस्व अपील प्राधिकारी,  
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)

राजस्व अपील प्राधिकारी,  
जयपुर